

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं / No. 2018-B-212/SSF/VIG

नई दिल्ली, दिनांक / New Delhi, dated 31.03.2018

महाप्रबंधक / The General Manager,
सभी भारतीय रेलवे / All Indian Railways

विषय:-

बजट आबंटन 2018-19 - मांग संख्या 80 - रेल मंत्रालय-मुख्य शीर्ष 3002 व 3003 - उप मुख्य शीर्ष 10 - विविध संचालन व्यय - सतर्कता संगठन के अंतर्गत 'गोपनीय सेवा निधि' के लिए प्रावधान.

Sub:- Budget Allotment 2018-19 - Demand No. 80 - Ministry of Railways - Major Heads 3002 & 3003 - Sub Major Head 10 - Misc. Working Expenses - Provision allowed for Secret Service Fund under Vigilance Organisation.

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सतर्कता संगठन के अंतर्गत 'गोपनीय सेवा निधि' मुख्य शीर्ष 3002 व 3003 - उप मुख्य शीर्ष 10 - विविध संचालन व्यय में विशेष व्यय (K-682) के लिए बजट आबंटन निम्न प्रकार से है:-

The Budget Allotment for the fiscal 2018-19 for 'Secret Service Fund' under Vigilance Organisation for Special Expenses (K.682) in Major Heads 3002 & 3003 - Sub Major Head 10 - Miscellaneous Working Expenses, is as under :-

रेलवे Railway	राशि Amount (रुपयों में In Rs.)
मध्य / Central	5,50,000
पूर्व / Eastern	2,00,000
पूर्व मध्य / East Central	2,00,000
पूर्व तट / East Coast	1,50,000
उत्तर / Northern	5,60,000
उत्तर मध्य / North Central	2,00,000
पूर्वोत्तर / North Eastern	2,00,000
पूर्वोत्तर सीमांत / Northeast Frontier	3,00,000
उत्तर पश्चिम / North Western	2,50,000
दक्षिण / Southern	3,50,000
दक्षिण मध्य / South Central	2,00,000
दक्षिण पूर्व / South Eastern	2,00,000
दक्षिण पूर्व मध्य / South East Central	1,15,000
दक्षिण पश्चिम / South Western	2,00,000
पश्चिम / Western	5,00,000
पश्चिम मध्य / West Central	4,00,000
मेट्रो कोलकाता / Metro Kolkata	5,000
कुल / TOTAL	45,80,000

2. ऊपर दिखाई गई राशियां केवल सांकेतिक हैं और इसका रेलवे द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की गई मुख्य शीर्ष 3002 व 3003 - उप मुख्य शीर्ष 10 के बजट आबंटन 2018-19 में शामिल की गई राशि की सीमा तक ही भुगतान किया जाए। व्यय का संखती से नियंत्रण किया जाए ताकि प्रावधान से अधिक खर्च न हो।

The amounts shown above are only indicative and may be paid only to the extent they have been included in the Budget Allotment 2018-19 of Major Heads 3002 & 3003 - Sub Major Head 10 projected to the Board by the Railways. The expenditure should be strictly controlled to ensure that there is no excess.

(अजय उपाध्याय / Ajay Upadhyay)

संयुक्त निदेशक, वित्त (बजट) / Joint Director, Finance (Budget)

रेलवे बोर्ड / Railway Board

सं / No. 2018-B-212/SSF/VIG

नई दिल्ली, दिनांक / New Delhi, dated 31.03.2018

प्रतिलिपि प्रेषित / Copy forwarded to: प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलवे / Principal Financial Adviser, All Indian Railways

(अजय उपाध्याय / Ajay Upadhyay)

संयुक्त निदेशक, वित्त (बजट) / Joint Director, Finance (Budget)

रेलवे बोर्ड / Railway Board

प्रतिलिपि / Copy to: सतर्कता - I एवं लेखा - I (विनियोग) शाखाएँ, रेलवे बोर्ड / Vigilance-I & Accounts-I (Appro.) Branches, Railway Board.